

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 155-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2019 (BHADRA 20, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 सितम्बर, 2019

संख्या 18/115/2019—3क1.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 2 (क) की उपधारा (i) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सीमाओं अनुसार पूर्व नगर निगम, अम्बाला के अम्बाला सदर जोन के क्षेत्र को नगर परिषद्, अम्बाला सदर बनाने की घोषणा करते हैं।

सीमाओं की अनुसूची

उत्तर:— बिन्दु 'क' से प्रारम्भ करते हुए जहां यह नगर परिषद्, अम्बाला सदर की सीमा को काटता है। इस के पश्चात् अम्बाला कैन्टोनमेन्ट और नगर परिषद्, अम्बाला सदर की सामूहिक सीमा के साथ—साथ गांव टुण्डला, टुण्डला तथा अम्बाला कैन्टोनमेन्ट के मिलन बिन्दु तक। इस के पश्चात् उत्तर की ओर गांव टुण्डला हदबस्त संख्या 46, गांव कलरहेडी हदबस्त संख्या 28 की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ साथ बिन्दु 'बी' तक, जो गांव पंजोखरा हदबस्त संख्या 29, गांव कलरहेडी हदबस्त संख्या 28 का त्रिमिलन बिन्दु है तथा पंजाब राज्य की सीमा बिन्दु 'बी' तक।

पूर्व:— ऊपर वर्णित बिन्दु 'बी' से प्रारम्भ करते हुए दक्षिण की ओर गांव कलरहेडी हदबस्त संख्या 28 गांव बोह हदबस्त संख्या 27, गांव रामगढ़ उर्फ शरीफपुर हदबस्त संख्या 26, गांव चांदपुरा हदबस्त संख्या 25, गांव सरसेहडी हदबस्त संख्या 64, गांव खुड्डा खुर्द हदबस्त संख्या 99 तथा गांव सलारहेडी हदबस्त संख्या 128 की पूर्वी सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'सी' तक जो गांव खुड्डा कलां हदबस्त संख्या 98 सलारहेडी हदबस्त संख्या 128 व गांव मंगलई हदबस्त संख्या 129 का त्रिमिलन बिन्दु है, बिन्दु 'सी' तक।

दक्षिण:— बिन्दु 'सी' से प्रारम्भ करते हुए पश्चिम की ओर गांव सलारहेडी हदबस्त संख्या 128, गांव करधान हदबस्त संख्या 103, गांव घसीटपुर हदबस्त संख्या 126, गांव शाहपुर हदबस्त संख्या 125, गांव मच्छौडी हदबस्त संख्या 124 की दक्षिणी सीमाओं के साथ—2 गांव मीरापुर मच्छौडी हदबस्त संख्या 124, की अम्बाला कैन्टोनमेन्ट तथा गांव शेखमाजरा हदबस्त संख्या 108 राजस्व सीमाओं के त्रिमिलन बिन्दु तक बिन्दु 'डी' तक।

पश्चिम:— ऊपर वर्णित बिन्दु 'डी' प्रारम्भ करते हुए अम्बाला कैन्टोनमेन्ट और नगर परिषद, अम्बाला सदर की सामूहिक सीमा के साथ—साथ जो राष्ट्रीय राज मार्ग—1 पर मिलती है, सैनिक रेस्ट हाऊस से स्टाफ रोड पर पूर्वी किनारे से बत्तरा पैलेस तक तथा बत्तरा पैलेस से पूर्व की ओर सड़क के साथ—साथ पी. डब्ल्यू. डी. रैस्ट हाऊस तक तथा नगर परिषद की पुरानी सीमा बी. सी. बाजार से होते हुये कैन्टोनमेन्ट सीमा तक गुडगुडिया नाले के साथ, जगाधरी रोड, सेमेटरी तक व सेमेटरी से नगर परिषद की पुरानी सीमा, जगाधरी रोड पर गुरू गोबिन्द सिंह चौक तक तथा पुरानी सीमा से होते हुए गांव बब्याल हदबस्त संख्या 63, टुण्डला हदबस्त संख्या 46 तथा अम्बाला कैन्टोनमेन्ट से उत्तर दिशा की ओर बिन्दु 'क' तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। टिप्पणी:— छावनी अधिनियम के अधीन अधिसूचित अम्बाला छावनी का क्षेत्र उपरोक्त अनुसूची से बाहर रखा गया है।

आनन्द एम० शरन, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 11th September, 2019

No. 18/115/2019-3C1.— In exercise of the powers conferred by the Clause (ii) of sub-section- (1) and Sub section (2) of section 2A read with Section 3 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana, hereby declare the area of Ambala Sadar Zone of the erstwhile Municipal Corporation, Ambala with the boundaries as specified in the Schedule given below, as Municipal Council, Ambala Sadar.

SCHEDULE OF BOUNDARIES

North:- Starting from point A where it intersects with the boundary of Municipal Council, Ambala Sadar. Thence along with common boundary of Ambala Cantonment of Municipal Council Ambala Sadar to the point of junction of Village Tundla, Village Tundla & Ambala Cantonment. Thence moving towards North along the western revenue boundaries of village Tundla HADBAST No. 46, Kalarheri HADBAST No. 28 upto point B, which is the Tri-junction point of the village Panjokhra HADBAST No. 29, Village Kalarheri HADBAST No. 28 & State boundary of Punjab upto point B.

East:- Starting from point **B** Mentioned above, moving towards South along the Eastern boundary of Village Kalarheri HADBAST No. 28, Village Boh HADBAST No. 27, Village Ramgarh urt Sarifpur HADBAST No. 26, Village Chandpura HADBAST No. 25, Village Sarsehri HADBAST No. 64, Village Khuda Khurd HADBAST No. 99 & Village Salarheri HADBAST No. 128 upto point **C**, which is tri-junction point of revenue boundaries of village Khuda Kalan HADBAST No. 98, Village Salarheri HADBAST No. 128 & Village Manghlai HADBAST No. 129 upto point **C**.

South:- Starting from point C mentioned above, moving towards west along the Southern boundaries of Village Salarhari HADBAST No. 128, Village Kardhan HADBAST No. 103, Village Ghastipur HADBAST NO. 126, Village Shahpur HADBAST No. 125 and Village Machondi HADBAST No. 124 upto Tri-Junction point of Revenue boundary of village Miranpur, Machonda HADBAST No.-106, Ambala Cantonment & Village Sheikhmajra HADBAST No. 108 upto point D.

West:-Starting from point **D** mentioned above, along with the common boundaries of Ambala Cantonment and Municipal Council, Ambala, which meets at NH-1, from Sainik Rest House on the eastern comer of Staff Road upto Batra Palace, towards eastern side of Batra Palace along with the Road upto PWD Rest House and old Limits of Municipal Council BC Bazar, staff road and from BC Bazar cantonment boundary upto cemetery along with Gurguria Nallah, on Jagadhri Road and from Cemetery to old limits of Municipal Council upto Guru Gobind Singh Chowk on Jagadhri Road then towards north side of Village Babbyal HADBAST No. 63, Village Tundla HADBAST No. 46 and Ambala Cantonment boundary through the old limit upto Point 'A' which is the starting point.

Note:- The area of Ambala Cantonment notified under the Cantonment Act is excluded from the above said Schedule.

ANAND M. SHARAN, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.